


2006/0008 2

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.....सीकर..... बनाम.....सीकर.....  
किस्म मुकदमा..... मु.नं० .....9..... वर्ष.....2006

दिनांक	आज्ञा पत्र	
27-1-21	<p>पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर ऑर्डर 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील को रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गए हैं। अतः यह है कि अपील को अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर एकात्मिक मुकदमा नम्बर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तदनुसार तदनुसार प्रार्थित दफ्तल हो।</p> <p> भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>	